विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
1 (क)	क्या मुख्य मंत्री बतायंगे कि परिषद् की दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के तृतीय सत्र 2021 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–30 के उत्तर के "क" भाग में कहा गया है कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् की आख्यानुसार ग्राम–चकअफोई, ब्लाक–पल्हना, तहसील–लालगंज, जनपद–आजमगढ़ की गाटा संख्या–148/0.030 हे0 जो बंजर भूमि थी, सजरे में उक्त गाटा संख्या में कुँआ दर्शाया गया है, पर मौके पर कोई कुँआ न होकर पक्का मकान बना है?	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की आख्यानुसार ग्राम चकअफुई ब्लाक पल्हना तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ की गाटा संख्या–148/0.030 हे0 जो बंजर भूमि थी, सजरे में युक्त गाटा संख्या कुआँ दर्शाया गया है, पर मौके पर कुआँ न होकर पक्का मकान बना है। वस्तुतः उक्त भूखण्ड में (ग्रामवासियों के बयान के अनुसार) 40 वर्ष से अधिक पुराना कुआँ था जो स्व0 विक्रमा सिंह द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाया गया था। जिसे स्व0 राममूर्ति सिंह पुत्र स्व0 विक्रमा सिंह के परिवार के लोग उपयोग में लाते थे। उक्त कुआँ जर्जर व निष्प्रयोज्य होने के कारण पट कर समतल भूमि के स्वरूप में हो गया था, जिस पर कालान्तर में आबादी बढ़ जाने के कारण वर्ष 2018 में मु0 नं0–टी201815060400449/15.02.2018 अन्तर्गत धारा–67 क (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत आबादी श्रेणी–6(2) घोषित कर दिया, जो वर्तमान अभिलेख खतौनी में अंकित है।
(ख)	क्या यह दृष्टान्त माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा जनहित में दिये गये निर्देशों जिसमें कहा गया है कि यदि किसी सार्वजनिक जमीन पर कोई कुँआ या पोखर था, उसे अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाये का उल्लंघन है?	गाटा संख्या–148/0.030 हे0 में दर्शित उल्लिखित कुएं का अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। व्यक्तिगत उपयोग हेतु निर्मित 40 वर्ष से अधिक पुराना कुआँ निष्प्रयोज्य होने के कारण पट कर समतल भूमि के स्वरूप में हो गया था, जो वर्तमान में धारा–67 क (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत आबादी श्रेणी–6(2) घोषित कर दिया गया है।
(ग)	यदि हॉ, तो उक्त सजरे में अंकित कुयें को यथाशीघ्र चिन्हित कराते हुए मानवीय सम्पदा (कुयें) को अतिक्रमण मुक्त कराके सदन को अवगत करायेंगे?	उल्लिखित कुएं के पट कर पुनः समतल बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाने तथा कालान्तर में आबादी बस जाने के कारण न्यायालय आदेश द्वारा उक्त भूमि को आबादी श्रेणी–6(2) घोषित कर दिये जाने के कारण कुएं को अतिक्रमणमुक्त कराये जाने का कथन अप्रासंगिक है।
(घ)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री